



चित्रकूट पुलिस



(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री हारुन रसीद व उनकी टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.07.2026 को आवेदिका सुन्ता देवी पत्नी कमलेश कुमार निवासी सेमरदहा थाना बहिलपुरवा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि गांव के ही रहने वाले गंगेश गुप्ता पुत्र लवलेश गुप्ता द्वारा उनके पुत्र उदयनारायण के ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया जिससे उसका सर फट गया तथा बेहोश हो गया सूचना पर सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु०अ०स० 40/26 धारा 110 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 23.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर उ०नि० हारुन रसीद व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गंगेश उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ०नि० श्री हारुन रसीद
2. आरक्षी जीतेन्द्र मौर्य
3. आरक्षी राघवेन्द्र राजपूत
4. आरक्षी शिवम यादव

(3). आज दिनांक 23.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(4). आज दिनांक 23.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था (AUPAD) सम्बद्ध अखिल भारतीय बधिर संघ, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मूक-बधिर जन के साथ संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाना है।

कार्यक्रम की मुख्य बातें -

1. कार्यक्रम का शुभारम्भ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस का कार्य सभी वर्गों की सहायता करना है। अक्सर मूक-बधिर पीड़ित अपनी बात थाने पर आकर नहीं कह पाते हैं, जिससे उन्हें न्याय में कठिनाई होती है। इस प्रशिक्षण से पुलिसकर्मी सांकेतिक भाषा के माध्यम से उनकी पीड़ा को समझ सकेंगे और त्वरित सहायता प्रदान कर सकेंगे।

2. इस प्रशिक्षण में अखिल उत्तर प्रदेश बधिर संस्था के प्रशिक्षकों 1. चंद्रमणि त्रिपाठी 2. राजवीर सिंह 3. दुर्गा गिरी 4. कलावती 5. आशीष कुमार 6. सौरभ कुमार पटेल

7. प्रगति दुबे द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा के मूलभूत शब्द, अभिवादन, सहायता मांगना, अपना नाम बताना, अपराध/घटना के सम्बन्ध में जानकारी देना, जैसे महत्वपूर्ण संकेतों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

3. प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि 23 सितम्बर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, ताकि समाज में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

(5). आज दिनांक 23.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा महिला थाना का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान थानाध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रत्येक बुधवार को लगातार व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 23.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के समस्त थानों की साइबर टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराध से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा आमजन को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, फर्जी कॉल, मैसेज, लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट एवं मोबाइल एप के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट विवरण, एटीएम/डेबिट कार्ड नंबर, पिन, CVV एवं OTP किसी भी स्थिति में साझा न करें।

एटीएम का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें तथा किसी अनजान व्यक्ति की सहायता न लें। बैंक या किसी अन्य संस्था के नाम पर आने वाले संदिग्ध फोन कॉल, मैसेज एवं लिंक पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें।

डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से सावधान रहें। पुलिस अथवा कोई सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर पूछताछ के नाम पर आपको घर में कैद रहने या पैसे भेजने के लिए बाध्य नहीं करता।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, जन्मतिथि, बैंक संबंधी जानकारी आदि किसी अनजान व्यक्ति के साथ फोन, ई-मेल, SMS, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।

बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, दीपावली ऑफर, KBC अथवा अन्य लुभावने ऑफर के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगने वालों से सावधान रहें।

किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर AnyDesk, TeamViewer अथवा किसी अन्य रिमोट एक्सेस एप को मोबाइल में इंस्टॉल न करें।

टेलीग्राम/व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ट्रेडिंग, गेमिंग अथवा निवेश में अधिक लाभ का लालच देने वाले लिंक एवं APK फाइलों से सावधान रहें। अनजान लिंक से कोई एप डाउनलोड न करें।

कम समय में पैसा दोगुना करने, क्रिप्टोकॉरेंसी में निवेश कर अत्यधिक रिटर्न दिलाने अथवा घर बैठे अधिक कमाई कराने वाली संदिग्ध योजनाओं के लालच में न आएं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ब्लॉग, चैट रूम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, घर का पता, फोन नंबर, जन्मतिथि एवं वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक रूप से साझा न करें।

पुलिस/साइबर अधिकारी बनकर यदि कोई व्यक्ति फोन कर आपके बच्चे के विरुद्ध बलात्कार, अपहरण आदि का मामला बताकर अथवा आपके द्वारा अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाकर पैसे की मांग करे तो घबराएं नहीं और किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।

किसी भी संदिग्ध लिंक, QR कोड या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज न करें।

ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट एवं आधिकारिक एप का ही प्रयोग करें।

सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से प्राप्त वीडियो कॉल, फोटो एवं लिंक को स्वीकार/ओपन करने में सावधानी बरतें।

अपने सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइन अकाउंट में मजबूत पासवर्ड एवं जहां संभव हो Two-Factor Authentication (2FA) का प्रयोग करें।

साइबर ठगी होने पर तत्काल करें शिकायत

यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, UPI फ्रॉड, साइबर ठगी या किसी अन्य प्रकार का साइबर अपराध हो जाता है तो घबराएं नहीं और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

साथ ही साइबर अपराध की शिकायत <https://www.cybercrime.gov.in> पर भी दर्ज की जा सकती है। ठगी के तुरंत बाद शिकायत करने से धनराशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ जाती है।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, CVV अथवा बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी मऊ श्री राजीव प्रताप सिंह, पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा की गयी गहन पैरवी, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 23.09.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 304/24 धारा 103(1), 326(जी) बीएनएस के आरोपी अभियुक्त राजकुमार पुत्र नत्थू केवट निवासी दुआरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास एवं 12000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.10.2024 को वादी नत्थू केवट पुत्र मेहदू केवट निवासी दुआरी थाना मऊ द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त ने अपने लड़के सत्यम उम्र करीब 05 वर्ष की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर कमरे में आग लगा दी। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 304/24 धारा 103(1), 326(जी) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 28.10.2024 को गिरफ्तार कर दिनांक 09.11.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). दिनांक 13.09.2026 को रात्रि जगदीश प्रसाद गौतम पुत्र श्री जयनारायण गौतम निवासी लोहदा, थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट, हाल पता गांधीगंज मिशन रोड कर्वी के थाना पहाड़ी क्षेत्र अंतर्गत अशोह स्थित खेत में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जहां बाउंड्रीवाल के अंदर जमीन में गड्ढा तथा एक क्षत-विक्षत पैर मिला।

प्रातः घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान दोनों पैर एवं एक पैर की जांच की हड्डी बरामद हुई। अभी तक मृतक का धड़ एवं सिर बरामद न होने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

मृतक की पहचान एवं घटना के अनावरण हेतु पुलिस द्वारा मैनुअल कॉम्बिंग, ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस तथा अस्पतालों में जांच की जा रही है। कर्वी से कौशाम्बी तक मार्ग में पड़ने वाले होटल, ढाबों एवं अन्य स्थानों पर पूछताछ के साथ मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है।

आज दिनांक 23.09.2026 को एसआईटी टीम क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय, प्रभारी निरीक्षक साइबर/मीडिया सेल श्री विजय कुमार सिंह, अपराध निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री बटेश्वर नाथ दुबे एवं थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा जनपद हमीरपुर से आई डॉग स्कवॉड टीम के साथ घटनास्थल की सघन चेकिंग की गई।

एसआईटी टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही लगातार की जा रही है।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

प्रथम पक्ष आवेदिका बबीता पुत्री अशर्फीलाल निवासी बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने अपने पति सत्यप्रकाश पुत्र सुरेश निवासी मंझनपुर नया नगर थाना मंझनपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध भरण पोषण न देने, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ०नि० अनुपमा तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, पुलिस काउंसलर डॉ० सुरेशचंद जायसवाल द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2. महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3. पुलिस काउंसलर डॉ० सुरेशचंद जायसवाल

(10). पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदांत पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ०नि० श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनांक 23.09.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु०अ०स० 352/2022 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त मोहित सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शिवरामपुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1200/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार, पुलिस कार्यालय में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन

आज दिनांक 23.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी के प्रारम्भ में सैनिक सम्मेलन आयोजित कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके उपरान्त पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा गोष्ठी में उपस्थित समस्त थाना/चौकी एवं शाखा प्रभारियों के कार्यों की समीक्षा एवं मूल्यांकन किया गया तथा अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपराध समीक्षा गोष्ठी में दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश—

- (1).भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अपराधों की तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील समीक्षा करते हुए लंबित अभियोगों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- (2).विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों की तीन वर्षीय तुलनात्मक समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (3).जनपद में संचालित प्रचलित अभियानों की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- (4).03 माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
- (5).पात्र अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने तथा नियमानुसार हिस्ट्रीशीट समाप्त/नष्ट करने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (6).बड़ी संख्या में लंबित आरोप-पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट को माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए।
- (7).अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी एवं नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (8).हत्या, लूट, चोरी एवं नकबजनी के लंबित अभियोगों के अनावरण हेतु प्रभावी कार्रवाई एवं सघन प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
- (9).07 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अभियोगों में वांछित/शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- (10).धारा 363, 366 भादवि0/धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित लंबित अभियोगों में बरामदगी एवं शेष कार्रवाई पूर्ण कर अभियोगों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (11).एनसीआर एवं एफआईआर से संबंधित आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट को नियमानुसार समय से न्यायालय में दाखिल करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- (12).आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लंबित अभियोगों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- (13).थाना स्तर पर लंबित चरित्र सत्यापन का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (14).दर्पण डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- (15).थानों पर लंबित माल मुकदमाती/माल निस्तारण की कार्रवाई नियमानुसार एवं शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (16).सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पुलिस फार्म FAR, IAR एवं DAR को नियमानुसार समय से तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(17).क्राइम अगेंस्ट वुमेन पोर्टल पर लंबित विवेचनाओं का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(18).यक्ष पोर्टल पर अपराधियों का आपराधिक इतिहास, फोटो, फिंगरप्रिंट आदि आवश्यक अभिलेखों/विवरणों की फीडिंग समय से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए।

(19).ई-साक्ष्य एवं ई-समन की तामीला/कार्रवाई को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेखों को समय से अपडेट करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। साथ ही कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करने हेतु पूर्ण संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद , क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्रीमती करिश्मा गुप्ता, क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव,वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं समस्त थाना/चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहें ।